



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225028
CG-DL-E-09022021-225028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 530]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

का.आ. 582(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.3432 तारीख 01.10.2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 01.10.2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू & कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-144A के कि.मी. 46+450 से 55+800 कि.मी. तक - (अखनूर से पूँछ मार्ग) सेक्शन-2 के लिए भूखण्ड के निर्माण, (2 लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "बोल्ड गोल्ड" में शनिवार 17 अक्टूबर 2020, और "दैनिक जागरण" में रविवार 18 अक्टूबर 2020, में प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हे

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में राजमार्ग संख्या **NH-144A** के कि.मी. **46+450** से **55+800** कि.मी. तक (अखनूर से पूँछ मार्ग) सेक्शन-2 के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चौकी चौरा				
	गांव का नाम: चौरा				
1	1012min	निजी	असिंचित	0.061	संसार सिंह एंड आदर्श/ मफीदे आम (१०१२मिन)
2	1029min	निजी	असिंचित	0.154	मुंशी राम एंड आदर्श/ यश पॉल पिता मुंशी राम शरहोल्डर्स (१०२९मिन)
			कुल	0.215	

[फा. सं. 2/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

S.O. 582(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number **S.O. 3432** dated **01.10.2020** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/2 - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of **NH-144A** on the stretch of

land from Km. 46+450 to 55+800 K.m. in (Akhnoor to Poonch Road) Section-2 in the district of JAMMU in the state of (UT) JAMMU & KASHMIR.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Bold Gold**” 17 October 2020 Saturday and “**Dainik Jagran**” 18 October 2020 Sunday under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

Or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 46+450 to 55+800 km. (Akhnoor to Poonch Road) Section-2 of the National Highway no. NH-144A in the district of Jammu in the state of (UT) Jammu & Kashmir.

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chowki chaura				
	Viilage: Choura				
1	1012min	Private	Non-irrigated	0.061	Sansar Singh And others/Mafide Aam 1012min
2	1029min	Private	Non-irrigated	0.154	Munshi Ram And Others/ Yash Paul S/o Munshi Ram Shareholders. 1029min
			TOTAL	0.215	

[F. No. 2/3D]

RAJESH GUPTA, Director